प्रेस नोट दिनांक 21.08.2024 जनपद चन्दौली

□श्रीमान् पुलिस महानिदेशक महोदय के आदेश के क्रम में चलाये जा रहे "ऑपरेशन कन्विक्शन" को निरन्तर सफल बना रही है चन्दौली पुलिस

□"ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत धोखाधड़ी करने के दोषी 02 अभियुक्तों को वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं पुलिस व लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप अभियुक्तों को न्यायालय उठनें तक की सजा व 50000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर 10 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

□ मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्रीमती इन्दू रानी (सिविल जज (जू0डि0) जनपद चन्दौली) द्वारा दोषी 02 अभियुक्तों को न्यायालय उठनें तक की सजा व 50000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर 10 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

जनपद चन्दौली थाना सैयदराजा के मुकदमें में दोषसिद्ध का विवरण-

1-दिनांक 11.05.1992 को धारा 420,467,468 भादवि के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1.चालक जगदीश सिंह पुत्र राम नरायन सिंह निवासी अमहिया थाना झगहा जनपद गोरखपुर 2.दीपचन्द्र सिंह पुत्र कैलाश सिंह निवासी अमोढा थाना उरुवा बाजार जनपद गोरखपुर के विरुद्ध अपराध संख्या- 96/2022 धारा 420,467,468 भादवि थाना सैयदराजा में पंजीकृत किया गया।

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के आदेश के क्रम एवं पुलिस अधीक्षक चन्दौली के निर्देशन में "ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध मा0 न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। पंजीकृत अभियोग में मॉनिटरिंग सेल व विशेष लोक अभियोजक श्री विपिन मिश्रा (एपीओ) व थाना सैयदराजा के पैरोकार आरक्षी राजीव कुमार की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दिनांक 21.08.2024 को मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्रीमती इन्दू रानी (सिविल जज (जू0डि0) जनपद चन्दौली) द्वारा दोषी अभियुक्तों 1.चालक जगदीश सिंह पुत्र राम नरायन सिंह निवासी अमहिया थाना झगहा जनपद गोरखपुर 2.दीपचन्द्र सिंह पुत्र कैलाश सिंह निवासी अमोढा थाना उरुवा बाजार जनपद गोरखपुर को न्यायालय उठनें तक की सजा व 50000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर 10 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

प्रेस नोट- दिनांक 21.08.2024
थाना सैयदराजा जनपद चंदौली

□थाना सैयदराजा पुलिस टीम द्वारा एक पिकअप में वध हेतु क्रूरता पुर्वक लादकर ले जाए जा रहे कुल 08 राशि गोवंशों जिसमें 02 राशि बछडा व 03 राशि गाय तथा 03 राशि मृत गाय को किया गया बरामद

चंदौली:- श्री आदित्य लांग्हे पुलिस अधीक्षक चन्दौली के निर्देशानुसार जनपद मे शराब व गौ तस्करी करने वाले गिरोह के विरूद्ध कार्यवाही हेतु दिये गये निर्देशों के क्रम मे अपर पुलिस अधीक्षक सदर विनय कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी सदर राजेश राय के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक मुकेश कुमार तिवारी के कुशल नेतृत्व मे थाना सैयदराजा पुलिस टीम द्वारा एक पिकअप में वध हेतु क्रूरता पुर्वक लादकर ले जाए जा रहे कुल 08 राशि गोवंशों जिसमें 02 राशि बछडा व 03 राशि गाय तथा 03 राशि मृत गाय को किया गया बरामद। बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई प्रचलित है।

पुलिस कार्रवाई-आज दिनांक 21.08.2024 को उ0नि0 धर्मदेव प्रसाद मय हमराहियान को मुखबिर खास द्वारा सूचना मिली कि कुछ पशु तस्कर जनपद चन्दौली से धरौली रोड होते हुए बिहार की सीमा से बिहार राज्य होते हुए गोवंशीय पशुओं को क्रूरतापूर्वक एक पिकअप वाहन मे लादकर वध हेतु बिहार के रास्ते पश्चिम बंगाल ले जा रहे हैं इस सूचना पर उ0नि0 धर्मदेव प्रसाद मय हमराहियान द्वारा भतीजा गांव होते हुए ग्राम औरैया पहुँचा तो देखा कि ग्राम औरैया सुनील खरवार के मकान के पास भीड़ दिखाई दिया। उक्त भीड़ के पास पहुँचा जहां देखा कि एक पिकअप वाहन एक नाली में फँसी हुई है जिसमें गोवंश लदे हुए है। पिकअप वाहन संख्या यूपी 65 एटी 6410 को को कब्जा पुलिस में लिया गया। वाहन उपरोक्त का चालक मौके से फरार हो गया है। उपरोक्त बरामद वाहन से कुल 08 राशि गोवंश की बरामदगी की गयी। बरामदगी के आधार पर थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली पर मु.अ.सं. 146/2024 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधि. व 11 पशु क्रू.नि.अधि. व 325 बीएनएस का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

बरामदगी का विवरण:-

1.08 राशि गोवंश जिसमे 02 राशि बछिया व 03 राशि गाय व 03 राशि मृत गाय
2.एक पिकअप वाहन संख्या UP 65 एटी 6410

बरामदगी मे पुलिस टीम का विवरण –

1.प्रभारी निरीक्षक मुकेश कुमार तिवारी सैयदराजा जनपद चन्दौली
2.उप निरीक्षक- धर्मदेव प्रसाद थाना सैयदराजा चन्दौली।
3.हे.का. मनोज गुप्ता थाना सैयदराजा चन्दौली।
4.का. मनिराम दुबे थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली।
5.का. धनन्जय यादव थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली।

प्रेस नोट-दिनांक 21.08.2024
थाना सैयदराजा जनपद चंदौली

थाना सैयदराजा पुलिस टीम द्वारा एक पिकअप में वध हेतु क्रूरता पुर्वक लादकर ले जाए जा रहे कुल 07 राशि गोवंशों की बरामदगी करते हुए 02 शातिर पशु तस्करों को किया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री आदित्य लांग्हे के निर्देशानुसार जनपद मे शराब व गौ तस्करी करने वाले गिरोह के विरूद्ध कार्यवाही हेतु दिये गये निर्देशों के क्रम मे अपर पुलिस अधीक्षक सदर विनय कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी सदर राजेश राय के पर्यवेक्षण व प्रभारी निरीक्षक मुकेश कुमार तिवारी के कुशल नेतृत्व मे थाना सैयदराजा पुलिस टीम द्वारा एक पिकअप में वध हेतु क्रूरता पुर्वक लादकर ले जाए जा रहे कुल 07 राशि गोवंशों की बरामदगी करते हुए 02 शातिर पशु तस्करों को किया गिरफ्तार । बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई प्रचलित है।

पुलिस कार्रवाई-आज दिनांक 21.08.2024 को उ0नि0 रामप्यारे चौधरी मय हमराहियान को मुखबिर खास द्वारा सूचना मिली कि कुछ पशु तस्कर उ0प्र0 की सीमा से बिहार राज्य होते हुए गोवंशीय पशुओं को क्रूरता पूर्वक एक पिकअप वाहन में लादकर वध हेतु बिहार के रास्ते पश्चिम बंगाल ले जा रहे हैं इस सूचना पर उ0नि0 रामप्यारे चौधरी मय हमराहियान द्वारा जेठमलपुर तिराहा एनएच 02 हाइवे पर चेकिंग अभियान चलाया जाने लगा कि चेकिंग के दौरान गोवंश लदे एक पिकअप वाहन संख्या यूपी 31 टी 3002 को पकड़ लिया गया। उपरोक्त बरामद वाहन से कुल 07 राशि गोवंश जिसमें 02 राशि साड़ व 05 राशि गाय गोवंश को बरामद किया गया तथा गौ तस्करी करने वाले 02 शातिर पशु तस्करो को भी गिरफ्तार कर लिया गया । बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली पर मु.अ.सं. 147/2024 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधि. व 11 पशु क्रू.नि.अधि. का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1.रवि कुमार पुत्र लोकनाथ केसरनवानी निवासी ग्राम मानिकपुर थाना मानिकपुर जिला प्रतापगढ उम्र 25 वर्ष।
2.प्रदीप कुमार गौतम पुत्र श्री ओमप्रकाश निवासी सोनामऊ थाना नवागंज कुण्डा जिला प्रतापगढ उम्र करीब 30 वर्ष ।

पूछताछ अभियुक्त-

अभियुक्तगण से पूछताछ की गयी तो अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि हम लोग वाहन मालिक की सहमति से इन गोवंशो को लाल गोपालगंज कुण्डा के जंगलो से इक्ट्ठा कर पिकअप में जानवर लादकर बिहार के रास्ते प0 बंगाल वध हेतु ले जाते है । गोवंशीय पशुओ से जो धनराशि मिलती है उसे हम लोग आपस मे बांट लेते है ।

बरामदगी का विवरणः-

1.07 राशि गोवंश जिसमे 02 राशि साड व 05 राशि गाय
2.एक पिकअप वाहन संख्या UP 31 T 3002
3.दो मोबाइल एन्ड्रायड मोबाइल सैमसंग कम्पनी व वीवो कम्पनी
4.17,270-/ बरामद रुपये

बरामदगी मे पुलिस टीम का विवरण–

1.प्रभारी निरीक्षक मुकेश कुमार तिवारी थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली
2.उप निरीक्षक- रामप्यारे वर्मा थाना सैयदराजा चन्दौली
3.हे.का. अनिल कुमार सरोज थाना सैयदराजा चन्दौली
4.हे.का विपलेश राय थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली